संख्या-886/2023/2824/35-4-2023/35-4099/225/2023

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 22 नवम्बर, 2023

विषय: जनपद लखनऊ में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में नियोजन विभाग अनुभाग-4 उ0प्र0 के शासनादेश संख्या-570/2023/1268/35-4-2023 दिनांक 29.03.2023 द्वारा जनपद लखनऊ के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में से क्रमांक संख्या 07, 10 व 11 पर उल्लिखित तीन कार्यों हेतु स्वीकृत लागत क्रमशः रू0 45.60 लाख, रू0 50.43 लाख तथा रू0 50.22 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में क्रमशः रू0 22.80 लाख, रू0 25.22 लाख तथा रू0 25.11 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

2. जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा उक्त शासनादेश संख्या-570/2023/1268/35-4-2023 दिनांक 29.03.2023 द्वारा जनपद लखनऊ के कार्य के अन्तर्गत क्रमांक- 07,10 व 11 पर अंकित कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि कुल रू0 73.13 लाख का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित करते हुए, प्रश्नगत तीन कार्यों हेतु अवशेष धनराशि कुल रू0 73.12 लाख (रूपये तिहत्तर लाख बारह हज़ार मात्र) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए प्रश्नगत चालू कार्यों की अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रु० लाख में)

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व मे अवमुक्त कुल धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1.	विकास खण्ड चिनहट के अन्तर्गत धौकलपुर में लीला हास्टल से श्री सोहन के मोड होकर सिल्वर लाइन होते हुए फैजाबाद रोड तक मार्ग का निर्माण कार्य।	45.60	22.80	22.80

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.	हिम सिटी पार्ट-2 चिनहट के अन्तर्गत द्विवेदी जी के घर से संतोष कुमार यादव व सत्येन्द्र पुष्कर के घर होकर गीता सदन, दिनेश यादव व भूपेन्द्र सिंह के घर होते हुए मेन रोड ऋषिकेश सिंह के घर तक मार्ग का निर्माण कार्य।	50.43	25.22	25.21
3.	नगर निगम लखनऊ के शहीद भगत सिंह वार्ड के अन्तर्गत दीन दयाल पुरम तकरोही में मौर्या जी सी0-401 से सी0-737, सी0-478, सी0-517, सी0-518, सी0—557 होकर बाल्मिकी मंदिर होते हुए ममता जनरल स्टोर तक मार्ग निर्माण कार्य।	50.22	25.11	25.11
	योग	146.25	73.13	73.12

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक- 29.03.2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च,2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्याः 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाले व्यय रू० 73,12,000/- (रूपये तिहत्तर लाख बारह हज़ार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष- 5054- सड़कों तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय , 04- जिला तथा अन्य सड़कें , 337- सड़क निर्माण कार्य , 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना , 0303- ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्याः10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर,2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-886(1)/2023/2824/35-4-2023/35-4099/225/2023, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग / ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग |
12-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।